पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 3954 /12–1(2) दिनांक 02/06 /2025::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/14124/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/186/2015/एफ.सी./262 दिनांक 24.05.2022 एवं आपकी पत्र संख्या–409/12–1 दिनांक 10.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से वांछित 06 बिन्दुओं की सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–132 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है–

बिन्दु सं.	प्रश्न	उत्तर
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04.06.2021 का mutation प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि दिनांक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	खतौनी की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
4	राज्य सरकार द्वारा एन0पी0वी0 पुरानी दरों के अधार पर धनराशि रु0 20,69,550/– जमा की गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नई दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।	मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नई दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि रुपये 10,96,862.00 (दस लाख, छियानबे हजार आठ सौ बासठ) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–4)**

क्रमशः :–2 पर

O/C

5	राज्य सरकार धनराशि रु0 14,50,903/– हेतु संशोधित सी0ए0 स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	धनराशि रु0 14,50,903/– हेतु संशोधित सी0ए0 स्कीम संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–5)
6	राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0–2 के सापेक्ष में 6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 में इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	भारत सरकार के कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0–2 के सापेक्ष में 6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल ई–मेल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (संलग्नक–6)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।
(प्रमाण पत्र मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 3954/दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

संलग्नक -(1) (19)

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

डाक 13/05/2025

पत्रांकः-132/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 09/05/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः- निर्माण जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग हेतु 3.15 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक- 2980/12-1(2) दिनांक 10-03-2025 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय का पत्रांक- 08बी/यू0सी0पी0/06 /186/2015/एफ0सी0/2611 दिनांक 14-03-2016

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर Online Proposal No- FP/UK/ROAD/14124/2015 प्रस्ताव पर 3.15 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आपको पूर्व में प्रेषित की गयी थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा 06 बिन्दुओं पर आपत्तियों में खण्ड को लौटायी गया था। वर्तमान में आपत्तियों का निराकरण कर पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

बिन्दु संख्या	कमियों का विवरण	अनुपालन आख्या
01	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-01 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04.06.2021 का mutation प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि दिनांक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के सापेक्ष में सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04-06-2021 का स्पष्ट Mutation प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
02	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	खतौनी की मूल प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की गयी है। छायां प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
03	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i)के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु चयनित स्थल पर आर0सी0सी0 पिल्लर से सीमांकन कर वन विभाग में कब्जे में दे दिया गया है, कब्जा प्रमाण-पत्र प्रेषित है। (संलग्नक-3)
04	राज्य सरकार द्वारा एन0पी0वी0 पुरानी दरों के आधार पर धनराशि रू0 20,69,550/- जमा की गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नई दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।	नई दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि रु 1096862.00 दिनांक 28.09.2022 को कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-4)

क्रमशः 2

352 iet N

05	राज्य सरकार धनराशि रू0 14,50,903/– हेतु संशोधित सी0ए0 स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन विभाग से सम्बन्धित/अपेक्षित है।
06	राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0–2 के सापेक्ष में 6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 में इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	दिनांक 18–04–2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0 2 के सापेक्ष में 6.30 हे0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल ई–मेल के माध्यम से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः संशोधित अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि/तददिनांक।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

वनभोग
वृ० अभि० का० करें,
प्र० व० अ०

353 iet N

संलग्नक -1 (A9)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के पत्रांक-261/पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0)रूद्रप्रयाग/वन भूमि दिनांक 18-02-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0मध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी-जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पूर्व में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या- 7153/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2015-16) दिनांक 16-08-2016 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 11 के खसरा संख्या- 949 रकवा 2.105 है0, खसरा संख्या- 959 रकवा 0.395 है0 भूमि तथा ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 10 के खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 एवं खसरा संख्या- 1909 रकवा 0.840 है0 मध्ये 0.200 है0 अर्थात कुल रकवा 6.300 है0 चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अमलदरामद हेतु पूर्व में जारी आदेश में खसरा संख्या- 989 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा संख्या- 1909 अंकित होने के कारण पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करने तथा खसरा 989 में अमलदरामद करवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पुनः उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ ने तहसीलदार ऊखीमठ के पत्रांक-1477/र0का0-क्षति0वृक्षारोपण/2020-21 दिनांक 25-03-2021 (पताका- 'द') को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि ग्राम जयकण्डी के खसरा नं0- 949 रकवा 2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, 959 रकवा 0.395 है0, खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 खसरा संख्या- 989 रकवा 0.300 है0 कुल रकवा 6.300 है0 भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः पूर्व में जारी आदेश संख्या- 7153/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2015-16) दिनांक 16-08-2016 को निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम **जयकण्डी के खसरा नं0- 949 रकवा 2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, 959 रकवा 0.395 है0, खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 खसरा संख्या- 989 रकवा 0.300 है0 कुल रकवा 6.300 है0 चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

दिनांक-04-06-2021

ह0/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4084/छब्बीस-20/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः जून, 05 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

अपर, जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

(2)

अधिशासी अभियन्ता
दि०...15-9-23
पत्रांक....1353..
सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस.वाई.सि.ख.)
रुद्रप्रयाग

संख्या-6442 / छब्बीस-20(2020-21) दिनांक : रूद्रप्रयाग : 12 सितम्बर,2023

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० (सिं०खं०),
रूद्रप्रयाग।

विषयः-- जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग पर हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या--1324 / पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग / वनभूमि दिनांक 09--09--2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में किये गये म्यूटेशन आदेश एवं अमलदरामद के उपरान्त दी गयी खतौनी से सम्बन्धित विवरण की प्रतियों में खाता संख्या, भूमि की श्रेणी, खसरा, रकवा आदि में भिन्नता आने के कारण संशोधित अमलदरामद एवं खतौनी की नकल उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या--1449 / र०का०--भू०अम० / (2022--23) दिनांक 26 मई, 2023 को अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि दिनांक 16 / 17 जून, 2013 की आपदा के समय राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर का कार्यभार, राजस्व उप निरीक्षक पठालीधार के पास होने से रा०उ०नि० क्षेत्र गणेशनगर के कुछ अभिलेख पठालीधार चौकी कार्यालय में थे। आपदा के कारण अभिलेख नष्ट हुये हैं, जिनमें ग्राम जयकण्डी की ज०वि०र० खतौनी भी सम्मिलित है। राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्व राजस्व उप निरीक्षक गणेशनगर द्वारा जिला कार्यालय के अभिलेखागार से ग्राम जयकण्डी की बन्दोबस्ती खतौनी की छायाप्रति प्राप्त की गयी, उक्त बन्दोवस्ती खतौनी में तथा पूर्व में प्रेषित भू--अभिलेखों में खतौनी खाता की संख्याओं में भिन्नता होने के कारण, प्रकरण में खतौनी खातों में भिन्नता परिलक्षित हुयी है।

भू--अभिलेखों की प्रेषित नकलों में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से स्वीकृत सुदा भूमि के खसरों के खतौनी खाता संख्याओं को वर्तमान में बट्टे में अंकित करते हुये, नकल निर्गत की गयी है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित खसरा नम्बरानों के खतौनी खातों का पूर्ण विवरण निम्नवत् हैः--

क्र०सं०	खसरा नम्बरान	ज०वि०र० खतौनी की श्रेणी	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में अंकित ख०खाता संख्या	वर्तमान में अंकित ख०खाता संख्या
1	2	3	4	5
1	949	9(3)ड--वंजर	11	11 / 60
2	959	9(3)ड़--वंजर	11	11 / 60
3	1907	9(ख)2--झाड़ियां	10	10 / 59
4	989	10(4)--चट्टान	19	19 / 68

JE(T)

अतएव उक्त योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत भूमि के अमलदरामद किये गये आदेश सम्बन्धी खतौनी की नकले संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः--यथोपरि।

12/9/23

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

RA0.944/ERK90 F0/3(1)
24-08-2023

File No. TH-Uki-RK-S/126/2023-E-Teh-Ukhi (Computer No. 2483)

1/2272/2023

1/2272/2023

L.A.C

प्रेषक,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

ADM 22/08/23

द्वाराः— उप जिलाधिकारी ऊखीमठ।

संख्याः— 1449 / र0का0—भू0अम0 / (2023—24) दिनांकः ऊखीमठः मई 26, 2023

विषयः— जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्ड़ी मोटर मार्ग पर हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपके कार्यालय पत्र संख्या—2458 / 26—20(2021—22) दिनांक रूद्रप्रयाग 04 फरवरी, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट कीजिएगा, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन / अमलदरामद आदेश तथा अमलदरामद के उपरान्त दी गयी खतौनी से सम्बन्धित विवरण की प्रतियों में खाता संख्या, भूमि की श्रेणी, खसरा आदि में भिन्नता होने के कारण अमलदरामद से सम्बन्धित विवरण पत्रों में खाता संख्या, भूमि की श्रेणी, खसरा आदि स्पष्ट अंकित करते हुए संशोधित अमलदरामद एवं खतौनी का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

इस सम्बन्ध में रा0उ0नि0 गणेशनगर से आख्या प्राप्त की गयी। रा0उ0नि0 गणेशनगर द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 15 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि 16 / 17 जून 2013 की आपदा के समय राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर का कार्यभार, राजस्व उप निरीक्षक पठालीधार के पास होने से रा0उ0नि0 क्षेत्र गणेशनगर के कुछ अभिलेख पठालीधार चौकी कार्यालय में थे। आपदा के कारण अभिलेख नष्ट हुए हैं जिनमें ग्राम जयकण्ड़ी की ज0वि0र0 खतौनी भी सम्मिलित है। राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु पूर्व राजस्व उप निरीक्षक गणेशनगर द्वारा, जिला कार्यालय के अभिलेखागार से ग्राम जयकण्ड़ी की बन्दोवस्ती खतौनी की छायाप्रति प्राप्त की गयी, उक्त बन्दोबस्ती खतौनी में तथा पूर्व प्रेषित भू—अभिलेखों में खतौनी खाता की संख्याओं में भिन्नता होने के कारण, प्रकरण में खतौनी खातों में भिन्नता परिलक्षित हुयी है (रा0उ0नि0 गणेशनगर की आख्या संलग्न है)।

भू—अभिलेखों की प्रेषित नकलों में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से, स्वीकृत सुदा भूमि के खसरों के खतौनी खाता संख्याओं को वर्तमान में बट्टे में अंकित करते हुये, नकल खतौनी निर्गत की गयी है, जो संलग्न हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरानों के खतौनी खातों का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:—

क्र0सं0	खसरा नम्बरान	ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी	पूर्व प्रषित प्रस्ताव में अंकित ख0खा0संख्या	वर्तमान में अंकित ख0खा0संख्या
1	2	3	4	5
1	949	9(3)ङ—बंजर	11	11 / 60
2	959	9(3)ङ—बंजर	11	11 / 60
3	1907	9(ख)2—झाड़ियां	10	10 / 59
4	989	10(4)—चट्टान	19	19 / 68

उक्त योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत भूमि के, अमलदरामद किये गये आदेश सम्बन्धी खतौनी नकलें संलग्न कर, अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित की जा रही हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Diwan Singh
Date: 27-05-2023 16:48:35
तहसीलदार
ऊखीमठ।

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

तहसीलदार ऊखीमठ की आख्या
सादर सेवा में प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ

22-08-23

Generated from eOffice by Satish Prasad, RK-SP-UKHI, RAGISTRAR KANOONGO, DEPT-TEHSIL UKHIMATH on 29/05/2023 04:59 PM

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - ऊखीमठ

विषय - जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत भूमि के हस्तान्तरण एवम नामान्तरण के सम्बन्ध में

महोदय
उपरोक्त विषयक में श्रीमान तहसीलदार महोदय ऊखीमठ के कार्यालय पत्रांक सं० 1314/रा० का० ग्रा० वृ०/2022-2023 दिनांक ऊखीमठ के 25 अप्रैल 2023 के क्रम सादर अवगत करना है।

①यह कि जाबरी जयकण्डी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बरानो के खतौनी के खाता संख्या में भिन्नता होने के कारण यह है कि तत्कालीन समय में रा० उ० नि० क्षेत्र गणेशनगर का कार्यभार रा० उ० नि० क्षेत्र पहालीधार में सौंपा था परन्तु रा० उ० नि० पहालीधार का कार्यालय स्थान गंगानगर में मन्दाकिनी नदी के समीप स्थापित था दिनांक 16/17 जून 2013 वर्ष में दैवीय आपदा से रा० उ० नि० क्षेत्र पहालीधार का कार्यालय क्षतिग्रस्त हो चुका था उक्त कार्यालय में धरित ग्राम जयकण्डी की अा० वि० रा० खतौनी भी थी तत्कालीन समय में रा० उ० नि० क्षेत्र गणेशनगर द्वारा राजकीय कार्यों को सम्पादित हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अभिलेखागार से ग्राम जयकण्डी की बन्दोबस्ती खतौनी की छाया प्रति उपलब्ध की जिस कारण प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बरानो के खाते संख्या में भिन्नता हुई है। प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बरो के खतौनी के खाते संख्या को बाद में निम्नवत प्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

R.K(U)
THR(U)
17/05/23

P.T.O

क्र० सं०	खसरा नं०	खसरा मय श्रेणी	पूर्व में पोषित प्रस्ताव खतौनी खाता सं०	वर्तमान में खतौनी खाता सं०
१	१४१	श्रेणी १(३) ड० बंजर	११	११/६०
२	१५१	श्रेणी १(३) ड० बंजर	११	११/६०
३	११०७	श्रेणी १(ख) २ झाड़ियाँ	१०	१०/५१
४	१८१	श्रेणी ५(४) चट्टान	१९	१९/६८

② यह कि ग्राम जयकण्डी की ज० वि० र० खतौनी के खाता सं० ६८ में तत्कालीन रा० उ० नि० गणेशनगर द्वारा प्रस्तावित ११ मी का खाते पृथक् कृष्णसेवक का आलदरामदत को दर्ज किया गया है ना कि मेरे द्वारा मेरे द्वारा दर्ज आलदरामदत के शब्द शब्द उतारे गये जिसकी छाया प्रति सं० रिपोर्ट के आंख्या पर संलग्न है

③ यह कि लैण्ड रिकार्ड के सम्बन्ध में श्रीमान कलक्टर महोदय को ही लैण्ड को हस्तान्तरित एवम नामान्तरण किये जाने कलक्टर महोदय सक्षम है जिस कारण से मेरे द्वारा श्रीमान कलक्टर महोदय का कार्यालय आदेश पत्रांक का उल्लेख किया गया है ज० वि० र० नकल खतौनी रिपोर्ट के आंख्या पर संलग्न है

अतः स्पष्टीकरण

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित

रा० उ० नि० गणेशनगर
15/05/2023

(1)

नकल जमाबन्दी रजिस्टर खतौनी

ग्राम - जयकण्डी

रा० उ० नि० गणेशनगर . तहसील - उखीमठ

01	02	03	04	05	06	07	कालम 8 से 24 तक
	11/60	बंजर		१ ↓ १२५ ↓ ६८६ ↓ ६५६ ↓ १३६६ ↓ १४१६ ↓ १६१२	३२।। ↓ १ ↓ १०५ ↓ १६।।। ↓ ३५ ↓ १५।। ↓ ८।।।=		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं० 4019 छबीस/1/2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग 05/-2020 तथा 2021 तथा शासनादेश सं० 2173 XVIII(II)/2021-18(51)/2012 राजस्व अनुभाग 2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसीलदार/उपजिलाधिकारी उखीमठ द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज० वि० र० खतौनी खातासं० 60 के खसरा संख्या 278 रकबा 0.500 हेक्टेयर तथा खसरा नं० 1361 रकबा 0.700 हे० मध्ये 0.412 हे० अर्थात कुल 0.912 हे० भूमि श्रेणी 1(क) 5-3 बंजर श्रेणी की ग्राम [illegible] भूमिधर सरदार रुद्रप्रयाग के नाम श्रेणी परिवर्तन भूमिधरी हेतु स्वीकृत परिवर्तित स्वामित्व अमलदरामद करने की रसीद द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है तथा अमलदरामद दर्ज किया गया ह० अस्पष्ट महोदय परिवर्तित जारी आदेश संख्या 7/ड3/छबीस राज० रा० सी० (2015) (6) दिनांक 16/08/2015 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या 2173 XVIII(II)/2020-18(51)/2010 राजस्व अनुभाग 02 दिसम्बर 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसीलदार उपजिलाधिकारी उखीमठ
				३१	८६।=		

नोट - नकल जमाबन्दी र० खतौनी असल से तैयार की गयी है।

राजस्व [illegible] 2 पट —

तहसील [illegible] जनपद रुद्रप्रयाग

P.T.O

②

नकल जमाबन्दी खतौनी

ग्राम जयकण्ठी — रा० उ० नि० गणेशनगर — तहसील धारचूला

1	2	3	4	5	6	7	8 कालम 8 तक
	11/60	बंजर		1 → 125 → 669 → 669 → 1366 → 1611 → 1612	3211 → 1 → 105 → 16॥ → 35 → 15॥ → 6॥		~~द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक गणेशनगर अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्ठी के खसरा 919 रकबा 2.105 मध्ये 2.005 हेक्टेयर 151 रकबा 0.395 हे० कुल रकबा 2.400 हे० चयनित भूमि उप वन संरक्षक ... के नाम स्वीकृत वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित अमल दरामद की स्वीकृति प्रदान की जाती है 04/06/2021~~ ह० अस्पष्ट ~~श्रीमान जिलाधिकारी ... के कार्यालय पत्रांक सं० 2575 ... 19/2020-21 दिनांक ... फरवरी 14 2023 के क्रम में ग्राम जयकण्ठी जा० वि० र० खतौनी खाता सं० 60 के खसरा नं० 1361 रकबा 0.400 हे० मध्ये अवशेष 0.288 हे० भूमि में से 0.210 हे० भूमि क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने हेतु स्वीकृत होने पर अमलदरामद किया~~ RI गणेशनगर 28/04/2022

नोट - नकल जमाबन्दी खतौनी असल से तैयार की जाती है

गणेशनगर धारचूला

नकल ज० वि० ख० खतौनी

ग्राम - जयकण्डी ख० उ० नि० गणेशनगर तहसील - ऊखीमठ

1	2	3	4	5	6	7	कालम ८ से कालम २२ तक
	१५ ६८८	चट्टान श्रेणी १० (8) अकृषक भूमि		६८८	१५		पूर्व उपजिलाधिकारी ऊखीमठ तहसीलदार ऊखीमठ के पत्रांक ५४७/२० का० क्षतिपूरक वृक्षारोपण २०२१ दिनांक २५-३ पत्रांक ८ को निरस्त करते हुये जारी आदेश सं० ७१८३ / छब्बीस स० ख० सी (२०१५-१८) दिनांक १८-8-२१ को निरस्त करते हुये शासनादेश सं० ५४७३ / XVIII (II) २०१२-१8 (१२०) २०१० राजस्व अनुभाग २ दिनांक १७ दिसम्बर (२०१२ मे प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुये उपजिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा राजस्व निरीक्षक गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी के खसरा नं० १8१ रकबा ०.8०० हेक्टेयर कुल रकबा ०.8०० चयनित को उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित / नामान्तरित एवम् अमलदरामद करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है ह० अस्पष्ट
				१	१५		

नोट - नकल ज० वि० ख० खतौनी असल से तैयार की गयी है।

(हस्ताक्षर)
गणेशनगर
ऊखीमठ

नकल ज० वि० स० खतौनी

ग्राम जमकण्डी — स० उ० नि० क्षेत्र गणेशनगर तहसील ऊखीमठ

1	2	3	4	5	6	7	कॉलम न० 8 से कालम न० 12 तक
	10 पूर्व	झाड़ियां		१९०७ १९०९	१८० ६२		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश के पूर्व जारी आदेश सं० 453/छब्बीस एल० ए० सी (2015-16) दिनांक 16-8-2016 के निरस्त करते हुये वर्तमान मे जारी किये गये आदेश सं० 4084/छब्बीस 20/2020-21/दिनांक ०८ जून ८ 2021 के अनुसार जावरी जामकण्डी मोटर मार्ग निर्माण के वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवम अमलदरामद करने के आदेश अमलदरामद किया गया है. ह० अस्पष्ट जिसके अर्न्तगत खसरा नं० 1907 रकबा 3.600 हेक्टेयर कुल रकबा 3.600 हेक्टेयर चयनित किया गया है। ह० अस्पष्ट
				02	222		

नोट - नकल ज० वि० स० खतौनी असल से तैयार की गयी

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर
तहसील ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

नकल खसरा

ग्राम: जमकण्डी — रा० उ० नि० गणेशनगर — फसली वर्ष 1429 से 1433 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
149	2.105	11/60	उ० स०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
159	0.395	11/60	उ० स०	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
1907	3.600	70/59	उ० स०	-		-		-		-			-		-					
189	0.300	79/68	उ० स०	-			-		-			-		-						
04	6.400																			

नोट- नकल खसरा तैयार किया गया है।

गणेशनगर
उखीमठ

3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–जयकण्डी (श्रेणी–9(3)ङ) बंजर की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–11/60 के खसरा संख्या–949, रकवा–2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, खसरा संख्या–959, रकवा–0.395 है0, (श्रेणी–9(ख)2 झाड़ियां) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–10/59 के खसरा संख्या–1907, रकवा–3.60 है0, (श्रेणी–10(4) अकृषक भूमि) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–19/68 के खसरा संख्या–989, रकवा–0.300 है0, कुल भूमि 6.30 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–4084/छब्बीस–20/2020–21 दिनांक 05.06.2021 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक– / दिनांकित पौड़ी 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Application | Date of ... | Fund | ... Letter

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग पर निर्माण हेतु 3.150 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि ग्राम जयकण्डी सिविल है0 6.300है0 क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन आदेश तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है–

म्यूटेशन ओदश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल रकबा	अर्जित रकबा
4084 / छब्बीस–20 / 2020–21 / दिनांक 05–06–2021	9(3)ड बंजर	11 / 60	949	2.105 है0	2.005 है0
	9(3)ड बंजर	11 / 60	959	0.395 है0	0.395 है0
	9(ख)2 झाडियां	10 / 59	1907	3.600 है0	3.600 है0
	10(4) चट्टान	19 / 68	989	0.300 है0	0.300 है0
योग					6.300 है0

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई रूद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार आर0सी0सी0 पिल्लरों से सीमाकंन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्र. (है0)	पिल्लर संख्या	पिल्लर का साईज (L.W.H)	अक्षांश	देशान्तर
जयकण्डी	6.300	01	60x60x75	30°25'10.35"N	79°06'08.19"E
		02	60x60x75	30°25'10.43"N	79°06'06.55"E
		03	60x60x75	30°25'01.06"N	79°06'03.57"E
		04	60x60x75	30°25'03.09"N	79°06'20.87"E
		05	60x60x75	30°25'05.23"N	79°06'21.21"E
		06	60x60x75	30°25'06.03"N	79°06'14.82"E
		07	60x60x75	30°25'07.06"N	79°06'14.74"E
		08	60x60x75	30°25'07.81"N	79°06'08.32"E

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता
मुहर सहित पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0
रूद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग
मुहर सहित

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

16/8/25
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

हस्ताक्षर
वन विभाग
मुहर सहित
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/14124/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/14124/2015) Javri To Jaikandi Motor Road	ROAD141242015617	6114124617	14 Mar 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1096862/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1096862/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Sep 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Sep 2022 Transaction Date : 28 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/120920221339334390_FPUKROAD141242015_User_Fund_Demanded_31477.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD141242015617)
2	FP/UK/ROAD/40174/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/40174/2019) Construction of Javri to Jaikandi(extension Ajaipur to Kakola) MR	ROAD401742019923	6140174923	25 Aug 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 36719/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 36719/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Sep 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Sep 2022 Transaction Date : 28 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/270820221156458253_FPUKROAD401742019_User_Fund_Demanded_40532.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD401742019923)
3	FP/UK/ROAD/119756/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/119756/2021) sanbend san syund to saterakhal Motor road	ROAD1197562021858	61119756858	06 Dec 2021	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 809510/-, tree plantation for 10 year : 710648/- Penal NPV : 906651/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2426809/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 21 Mar 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Mar 2022 Transaction Date : 21 Jun 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/050320221106142586_FPUKROAD1197562021_User_Fund_Demanded_2116Y.px Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1197562021858)

संलग्नक – 5

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दरा वर्षीय (एस0 एस0 पी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम –		जयकण्डी सिविल		
क्षेत्रफल		6.300	है0	वर्ष 2016–17
क्र.सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	कचनार	3500		
2	सुरई	2600		
3	अंगू	3500		
4	अखरोट	3000		
	योग	12600		
	रोपित कुल पौध	12600		

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु0	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	6.3000	है0	115.00	724.50
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	6.3000	है0	3730.00	23499.00
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य स्थान–स्थान पर आवश्यकतानुसार 800र0मी0 / है0	6.3000	है0	38637.00	243413.10
4	गड्ढ़ो का खुदान 0.30x0x30x0.45cum	6930	प्र0ग0	7.95	55093.50
5	निरीक्षण बटिया का निंमाण करना स्थान – स्थान पर (प्रति है0 500र0मी0 लम्बी व 0.60 मी0 चा	1890.00	वर्ग मी0	18.00	34020.00
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	6930	प्र0 सं0	6.20	42966.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंन्त्र औजार तैज करना	6.3000	है0	915.00	5764.50
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्या हेतु धनराशि का प्राविधान)	6.3000	है0	9150.00	57645.00
	प्रथम चरण का योग				463125.60

द्वितीय चरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु0	व्यय
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	6930	सं0	1.42	9840.60
2	पौधेां की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6930	सं0	1.80	12474.00
3	पौध ढुलान कार्य	6930	सं0	9.00	62370.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	6930	सं0	2.77	19196.10
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	6930	सं0	1.89	13097.70
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय वार	6930	सं0	1.63	11295.90
7	खाद व दवा पर व्यय	6.3000	है0	1200.00	7560.00
8	प्रथम वर्ष में बृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (1 वाचर 7 माह)	6.3000	प्र0है0 / माह	685	30208.50
9	8.1 बृक्षारोपण क्षैत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनपील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/काला वांसा)	6.3000	प्रति है0	1887	11888.10
10	अन्य व्यय साईन बौर्ड पौध ढुलान हैतु टोकरी सुतली, वोरी आदि क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हैतु पौलीथीन सीट क्रय करना व वर्ष में दो तीन बार फोटो ग्राफी फिल्ड स्थरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य ।	6.300	है0	1000.00	6300.00
	कुल योग द्वितीय चरण				184230.90

	तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति				
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	2.1 बृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्र्तगत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है। झाडी कटान (लैन्टना गाजर धास/कालाबांसा)	6.3000	है0	1887	5197.50
	2.3 बृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हैतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हैतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोतसाहन देना ।	6.3000	L.S	1000.00	6300.00
	ब– प्रौत्साहन	6.3000	L.S	500.00	3150.00
3	पौधेां की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	693	स0 /पौध	8.00	5544.00
4	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण करना	693	%	484.00	3354.12
5	पौधों का ढुलान कार्य करना	693	%	990.00	6860.70
6	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	693	%	1793.00	12425.49
	तृतीय चरण का योग				**94617.81**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	चतुर्थ चरण का योग :–				**63674.10**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	पंचम चरण का योग :–				**63674.10**
	छठवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	छठवें चरण का योग :–				**63674.10**
	सातवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	सातवें चरण का योग :–				**63674.10**
	अठवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	आठवें चरण का योग :–				**63674.10**
	नवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	नवें चरण का योग :–				**63674.10**
	दशवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	दशवें चरण का योग :–				**63674.10**

5–कुल व्यय सारांश प्रति है0 व कुल व्यय				
क्र.सं.	वर्ष का नाम			प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष			463125.60
2	द्वितीय वर्ष			184230.90
3	तृतीय वर्ष			94617.81
4	चतुर्थ वर्ष			63674.10
5	पंचम वर्ष			63674.10
6	छठवें वर्ष			63674.10
7	सातवां वर्ष			63674.10
8	आठवां वर्ष			63674.10
9	नवम् वर्ष			63674.10
10	दशम वर्ष			63674.10
कुल व्यय रुपये				1187693.01
मृदा एवं जल सरंक्षण कार्य				263209.59
कुल योग				1450902.60
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2016–17 हेतु देय दर/ 230302.00 रू0/है0		6.300	Hac	1450902.60
या				1450903.00

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सलग्नक -(6)

जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.300 है0 भूमि

100 50 0 100 Meters

1 centimeter = 50 meters

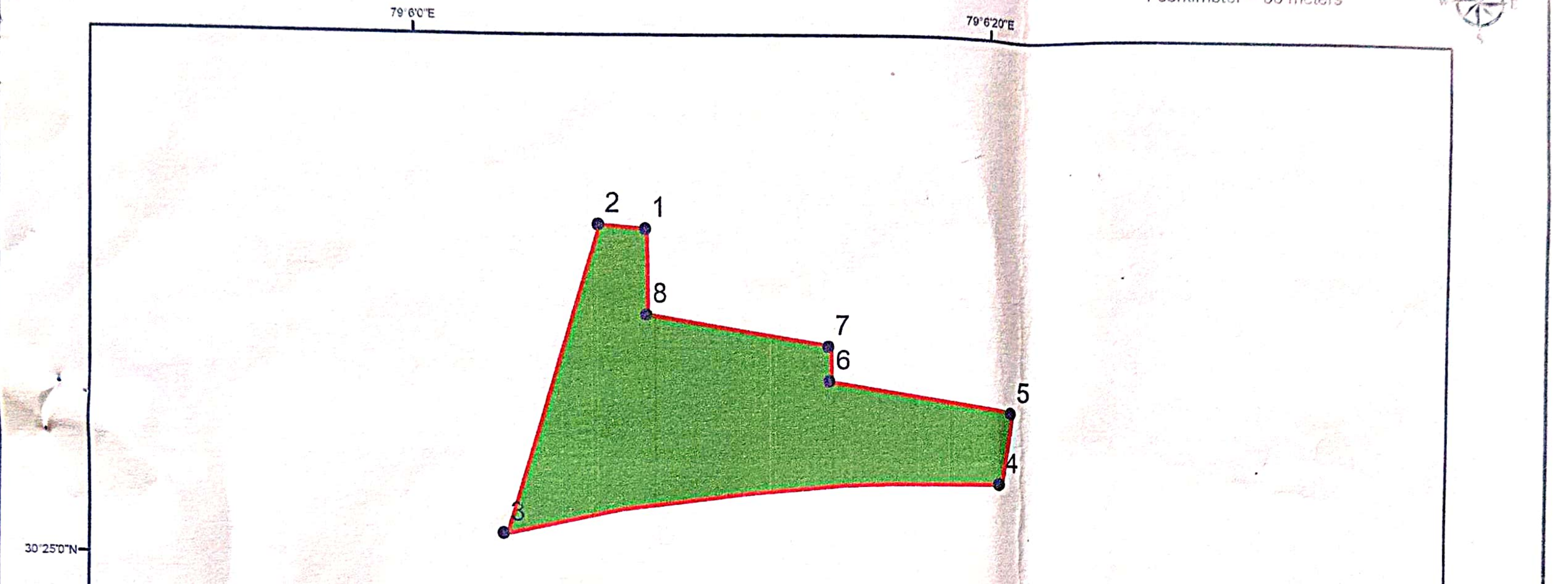

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°06'08.19"E	30°25'10.35"N
2	79°06'06.55"E	30°25'10.43"N
3	79°06'03.57"E	30°25'01.06"N
4	79°06'20.87"E	30°25'03.09"N
5	79°06'21.21"E	30°25'05.23"N
6	79°06'14.82"E	30°25'06.03"N
7	79°06'14.74"E	30°25'07.06"N
8	79°06'08.32"E	30°25'07.81"N

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
रुद्रप्रयाग

[illegible] वनाधिकारी
अगस्त्यमुनि

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिं0 ख0, रुद्रप्रयाग

79°6'20"E

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 खं0

[illegible] जिलाधिकारी
[illegible]
जनपद-रुद्रप्रयाग

Plantation Area

Plantation Site GPS

जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.300 है0 भूमि

480 240 0 480 Meters

1 centimeter = 250 meters

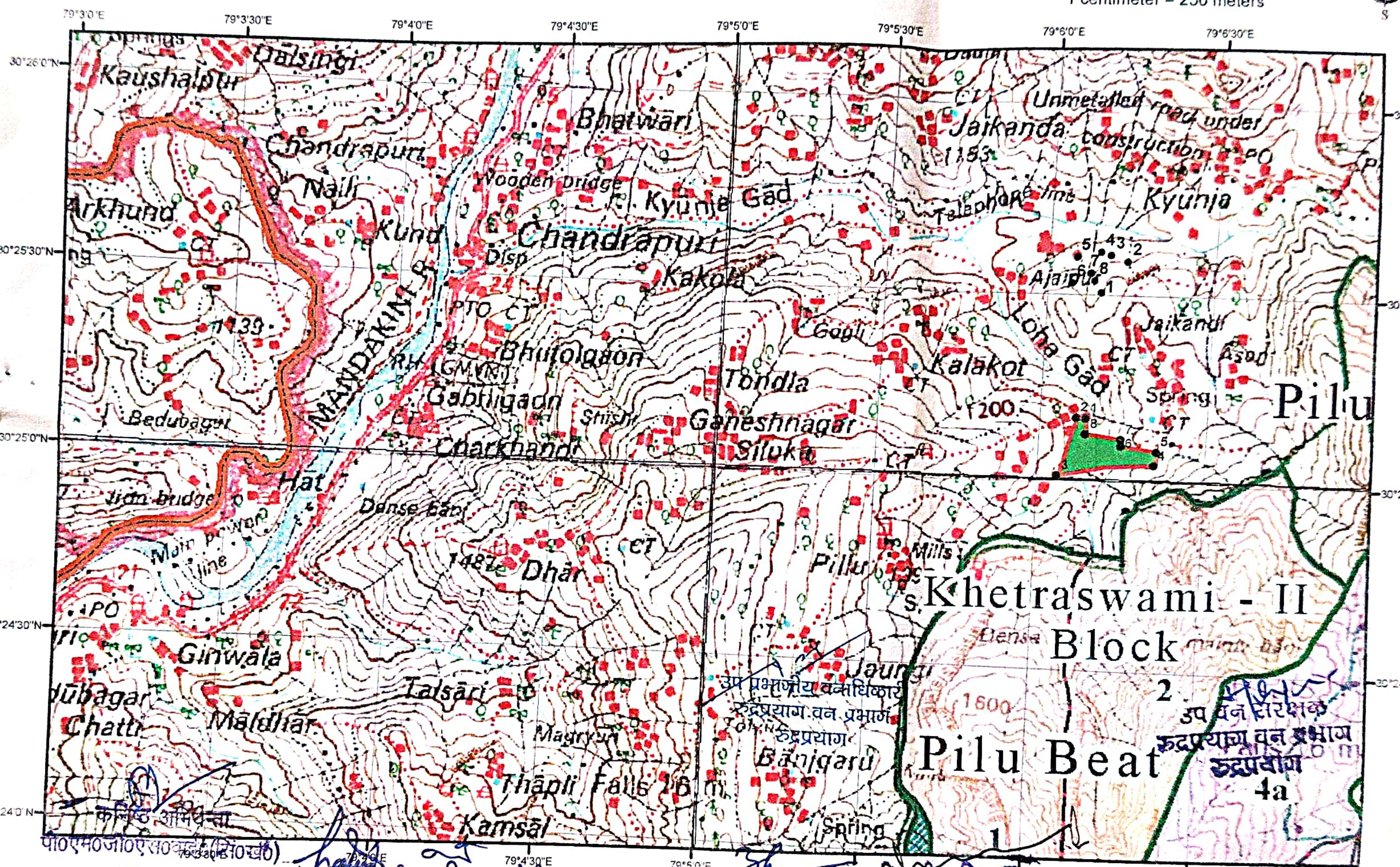

Plantation Area

Plantation Site GPS